



2026:AHC:38227

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3388 / 2026

श्रीमती फूलकली

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राम स्वरूप (सिंह), शिवकांत सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, बांदा, जनपद बांदा द्वारा दिनांक 09.04.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

2. उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत प्रदान की गई वैधानिक अपील दायर की गई थी, जिसे मुकदमा संख्या 00234 / 2019, कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या C201907000000234 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त अपील को प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त-प्रथम, चित्रकूट धाम, मंडल बांदा द्वारा दिनांक 07.03.2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 25616 / 2021 (झिनका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), जिसका निर्णय 12.05.2022 को हुआ था, में प्रतिपादित कानून के दृष्टिगत, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण दाखिल करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

4. मामले के इस पहलू को देखते हुए, रिट याचिका वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

20 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"